



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)
Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. 8400015909
LICENCE NO. CM/L - 8400015909

1. यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मै. एम डब्लू वायरटेक प्राईवेट लिमिटेड,
एस पी-183ए, खरानी इण्डस्ट्रियल एरिया,
भिवाडी,
जिला-अलवर,
राजस्थान-301019

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है), इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करता है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जायेगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कालम में किया गया है। वह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

MW Wiretec Pvt. Ltd.,
SP-183A, Kehrani Industrial Area, ,
Bhiwadi
Distt : Alwar
Rajasthan-301019

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ वे अधिकार और बाध्यताएँ हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में है। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नियत फीस सम्यक् रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति 15 जुलाई 2015 से 14 जुलाई 2016 तक विधिमान्य रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीनीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from FIFTEENTH JULY, TWO THOUSAND FIFTEEN TO FOURTEENTH JULY, TWO THOUSAND SIXTEEN and may be renewed as prescribed in the Regulations.

आज दो हजार पंद्रह के अगस्त मास के 5^{वें} हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित

Signed, Sealed and Dated this 10th day of August TWO THOUSAND FIFTEEN

भारतीय मानक ब्यूरो
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

351
(ए.के. सिंहा)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख